[8/3/2022]

परिशिष्ठ – अ.

प्रश्न सं. [क्र. 506]

विभागीय मंत्रीजी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 22.08.17– कार्रवाई बिन्दु

1. प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं पंचपरमेश्वर आदि कार्यो के लिए [illegible] मुक्त रेत एवं मिट्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विकास खण्ड के लिए दो से चार [illegible] आगामी चार से छः माह के लिए किराए पर लेते हुए उनके रूट चार्ट एवं फेरी निर्धारित कर दी जाए। ऐसे वाहनों की जानकारी पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के मैदानी अधिकारियों को दी जावे ताकि रेत एवं मिट्टी का परिवहन निर्बाध हो। प्रति फेरी किराया एवं लागत राशि निर्धारित कर दी जाए ताकि संबंधित ग्राम पंचायत/हितग्राही को उचित दर पर [illegible] मुक्त रेत एवं मिट्टी उपलब्ध हो।

2 आबादी क्षेत्र में सी.सी. रोड एवं पक्की नाली निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार पृथक ओपीआर बनाई जा सकती है। पृथक ओपीआर अपलोड करने के लिए पोर्टल में सुविधा दी जाए।

3 पंचायतराज संस्थाये शासन का अंग होकर शासन की परिभाषा में आती है। अतः उनके द्वारा कराए गए कार्यों के भुगतान के लिए जीएसटी नहीं लगता है। ग्राम पंचायतों के देयकों में जीएसटी कॉलम में शून्य राशि दर्शाई जाए।

4. प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव अथवा रोजगार सहायक कोई एक व्यक्ति की व्यवस्था की जाए। सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पंचायत का सचिव/रोजगार सहायक का प्रभार न हो।

5. जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के मध्य विवाद की स्थिति हो उनमें विवाद समाप्त कराया जाए। आवश्यक परिस्थितियों में सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को स्थानान्तरित किया जाए।

6 जिन ग्राम पंचायतों में धनराशि जमा होते हुए भी सरपंच द्वारा कार्य नहीं कराया जाए वहां उन सरपंच की अध्यक्षता में निर्माण समिति से कार्य कराए जाएं।

7. भवन विहीन आंगनवाड़ियों को शासकीय भवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित ग्राम में उपलब्ध रिक्त शासकीय भवन की व्यवस्था कराई जाए। कई ग्रामों में शालाओं के मर्जर से शाला भवन रिक्त हैं अथवा शाला भवन में रिक्त कमरे उपलब्ध हैं। अन्य शासकीय विभागों के भी कुछ स्थानों में रिक्त भवन उपलब्ध हो सकते हैं। इन्हें भवन विहीन आंगनवाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाए।

8. जिन ग्राम पंचायतों में संपूर्ण आबादी के लिए सी.सी. रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य पूर्ण हो गए उनमें वर्ष 2009 या पूर्व के निर्मित पत्थर के खरंजों/जर्जर सी.सी. रोड के नवीनीकरण के लिए विस्तृत तकनीकी एवं प्रशासकीय दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।

9. जिन ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र के लिए सी.सी. रोड, पक्की नाली निर्माण, प्रधान मंत्री आवास योजना एवं ओडीएफ कार्य पूर्ण हो जाएं वहां सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति की प्राथमिकता दी जाएगी।

10 भवन विहीन पंचायतों के लिए जानकारी संकलित कर योजनाबद्ध तरीके से भवन निर्माण के कार्य कराए जाएं।

11. ग्राम पंचायतों को उनके जिला पंचायत के खाते में जमा राशि से निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार धनराशि सी.सी. रोड एवं पक्की नाली निर्माण के लिए जारी की जाए। Dir(P) पृथक से आदेश भी जारी करें।

ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला	राशि(रू.लाख मे)
रसुलियाखेडी	आष्टा	सीहोर	10.00
दुमनी	दाता	नीमच	10.00
नोहटा	जबेरा	दमोह	10.00
पिपरिया परासर	ग्यारसपुर	विदिशा	10.00
छींद	सिलवानी	रायसेन	10.00
वम्होरी	उदयपुरा	रायसेन	10.00
ईटखेडी	बाड़ी	रायसेन	10.00

12. सामुदायिक भवन

ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला	लागत राशि(रू लाख में)
मंडावर	मंडावर	नरसिंहगढ	राजगढ	25.50
बरखेड़ी अब्दुल्ला	बरखेड़ी अब्दुल्ला	फंदा	भोपाल	25.50
मालन	मालन	गुन्नौर	पन्ना	20.00
सिरसा	सिरसा	सेवढा	दतिया	12.00
कुंवरपुर खेजड़ा	कुंवरपुर खेजड़ा	दमोह	दमोह	22.00
सावन	सावन	नीमच	नीमच	25.50

13. आंगनवाड़ी भवन (मनरेगा अभिसरण से)

ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला	लागत राशि(रू लाख में)
धनौरा	धनौरा	हर्रई	छिंदवाड़ा	07.80
खामखेडा	खामखेडा	शाजापुर	शाजापुर	07.80
तिरलाई	तिरलाई	दमोह	दमोह	07 80

01.09

(आर.एस.जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner